[Stamp as Agreement]

सुरक्षित जमा लॉकर करार

अनुलग्नक 2

यह सुरक्षित जमा लॉकर करार आज वर्ष दो हजार .... के .... माह की ....तिथि को की गई ।

यूको बैंक, जिसका प्रधान कार्यालय 10, बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता में तथा अन्य स्थलों में से एक शाखा कार्यालय .... में अवस्थित है, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित बैंकिंग कानून (संशोधित) अधिनियम,1985 के तहत गठित एक निगमित निकाय (इसके पश्चात **"बैंक/लाइसेंसर"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जब तक कि अभिव्यक्ति को संदर्भ से बाहर या प्रतिकूल नहीं किया जाता है, तब तक इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशितों को शामिल समझा जाएगा) प्रथम पक्ष

तथा

श्री/श्रीमती/सुश्री/मेसर्स ____पता ______________________________

(इसके पश्चात **"ग्राहक /लाइसेंसी"** के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जब तक कि अभिव्यक्ति को संदर्भ से बाहर या प्रतिकूल नहीं किया जाता है, तब तक इसका/इसकी वारिस, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशितों को शामिल समझा जाएगा) इस करार में द्वितीय पक्ष है।

यह लॉकर करार, बैंक और उसके ग्राहक के बीच, करार की अनुसूची में उल्लिखित स्थान और तारीख को निष्पादित किया गया ("करार") है।

"बैंक" शब्द में उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक एवं समनुदेशिती शामिल है और "ग्राहक" शब्द में जब ग्राहक:

(क) एक या अधिक व्यक्ति है तो "ग्राहक" शब्द में उसके उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक एवं विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं;

(ख) कोई स्वामित्व फर्म है तो ग्राहक' शब्द में फर्म के मालिक और उसके उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं

(ग) कोई भागीदार फर्म है तो "ग्राहक' शब्द में ऐसी फर्म, उसके उत्तराधिकारी, ऐसी फर्म के भागीदार, उत्तरजीवी या उनमें से उत्तरजीवी या प्रत्येक के वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं;

(घ) कोई हिन्दू अविभक्त परिवार (एचयूएफ) है, तो "ग्राहक शब्द में उसके सदस्य और उनके उत्तरजीवी, विधिक वारिस, निष्पादक, प्रशासक तथा विधिक प्रतिनिधि शामिल हैं: और

(ङ) कोई लिमिटेड कंपनी है तो "ग्राहक" शब्द में उसके उत्तराधिकारी शामिल हैं; और

(च) एक संस्था या न्यास, उसके सदस्य और उनके उत्तरजीवी, कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, और कानूनी प्रतिनिधि

(बैंक और ग्राहक प्रत्येक को **"पार्टी"** और उन्हें सामूहिक रूप से **"पार्टियां"** कहा जाएगा)

जबकि :

(क) सुरक्षित जमा लॉकर का लाभ उठाने के इच्छुक ग्राहक ने ऐसी सुविधा प्राप्त करने हेतु शाखा से संपर्क किया है;

(ख) कुछ निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन, ग्राहक को सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक सहमत है और

(ग) इस संबंध में अपने आपसी समझौते को परिनिर्धारित करने हेतु पार्टियों ने इस करार पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया।

[Stamp as Agreement]

SAFE DEPOSIT LOCKER AGREEMENT **Annexure 2**

This Agreement for Safe Deposit Locker is made at ________________ on this ________ Day of______________ Two Thousand____________________.

UCO Bank, a Body Corporate constituted under The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended by the Banking Laws (Amendment) Act, 1985 having its Head Office at No. 10, B.T.M. Sarani, Kolkata and a Branch Office amongst other places at ___________________________ (hereinafter referred to as **"Bank/Licensor"**, which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include its successors and assigns) of the First Part.

AND

Mr./Mrs./Ms./M/s____of ____(hereafter referred to as the **"Customer/Licensee"**, which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his/her/its heirs, executors, administrators, representatives, successors and assigns) of the Second Part.

THIS LOCKER AGREEMENT IS MADE BETWEEN THE BANK AND ITS CUSTOMER AT THE PLACE AND ON THE DATE AS STATED ABOVE AND STATED IN THE SCHEDULE HERETO ("THE AGREEMENT")

The expression "**the Bank**" shall include its successors, administrator and assigns and the expression "**the Customer**" shall include, when the Customer is:

(a) one or more individuals, his/ her/ their heirs(s), executor(s), administrator(s) and legal representative(s);

(b) a proprietorship firm, the proprietor and his/ her heirs(s), executor(s), administrator(s) and legal representative(s);

(c) a partnership firm, such firm and its successor, such firm's partners, the survivor or survivors among them and the heir(s), executor(s), administrator(s), legal representative(s) of each one of them;

(d) a Hindu Undivided Family (HUF), its members and their survivor(s), legal heir(s), executor(s), administrator(s) and legal representative(s); and

(e) a limited company, its successors; and

(f) an Association or Trust, its members and their survivor(s), legal heir(s), executor(s), administrator(s), and legal representative(s);

(The Bank and the Customer are each referred to as a "**Party**" and collectively as "**Parties**")

WHEREAS:

(A) The Customer being desirous to avail of safe deposit locker facility, has approached the Bank for such facility;

(B) The Bank is agreeable to provide to the Customer the safe deposit locker facility subject to certain terms and conditions; and

(C) The Parties have decided to enter into this Agreement to set out the understanding between them in this regard.

पार्टियों द्वारा तथा उनके बीच निम्नानुसार करार किया जाता है:

1. **लॉकर लाइसेंस**

1.1 **लाइसेंसदाता** के रूप में बैंक एतदूवारा लाइसेंसधारक के रूप में ग्राहक को, इस करार में उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन, सुरक्षित जमा लॉकर यहां इसके पश्चात **"लॉकर"** कहा गया है) का उपयोग करने हेतु लाइसेंस प्रदान करता है, जिसके ब्यौरों का सुस्पष्ट वर्णन इस करार की अनुसूची में किया गया है।

1.2 ग्राहक एतद्द्वारा, यहां अनुसूची में किराए (**"किराया"**) के रूप में निर्दिष्ट शुल्क के लिए यहाँ उल्लिखित शर्तों पर प्रदत्त लाइसेंस को स्वीकार करता है।

1.3 लॉकर का उपयोग करने का जो लाइसेंस एतद्द्वारा प्रदान किया गया है वह:-

(क) व्यक्तिगत है और ग्राहक के स्वयं के उपयोग के लिए है और ग्राहक से भिन्न किसी भी व्यक्ति के उपयोग के लिए नहीं;

(ख) गैर-स्थानांतरणीय है;

(ग) केवल वैध प्रयोजनों के लिए है, जैसे-आभूषण एवं दस्तावेज़ रखना और इसका प्रयोग किसी नकदी या मुद्रा रखने के लिए नहीं है;

(घ) इसमें निम्नलिखित रखना मना है:

(I) शस्त्र, हथियार विस्फोटक, नशीले पदार्थ और/या वर्जित सामग्री; और/या

(ii) कोई खराब होने वाले वस्तु और/या रेडियोधर्मी सामग्री और/या कोई अवैध वस्तु; और/या

(iii) कोई सामग्री जो बैंक या उसके किसी ग्राहक के लिए खतरा या परेशानी उत्पन्न कर सकती हो।

1.4 इस करार के तहत निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार लॉकर परिचालित करने एवं उसका उपयोग करने के अधिकार के अलावा ग्राहक को इस लॉकर में कोई अधिकार या संपत्ति नहीं होगी।

1.5 ग्राहक उक्त लॉकर को किसी अन्य व्यक्ति को उप-लाइसेंस या पुन: लाइसेंस नहीं देगा और इसके लिए किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का प्रभार नहीं लेगा।

1.6 ग्राहक को:

(क) बैंक के किसी भी कार्यदिवस पर, लॉकर परिचालन हेतु बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित समय के दौरान और ऐसी अधिसूचना के अभाव में, बैंक के कारोबार समय के दौरान, लॉकर का उपयोग करने की अनुमति होगी। तथापि, यदि बैंक अपने नियंत्रण से परे किसी कारणों जैसे बाढ़, उपद्रव, कर्फ्यू, लॉक आउट आदि से बंद रहता है, तो लॉकर परिचालन की अनुमति देने हेतु बैंक बाध्य नहीं होगा;

(ख) बैंक के अभिलेखों में, बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से लॉकर परिचालन के ब्यौरों की प्रविष्टि करने के पश्चात, लॉकर परिचालित करने की अनुमति होगी, और

(ग) बैंक द्वारा मांगा गया पहचान-प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात् लॉकर का उपयोग करने की अनुमति होगी।

1.A ग्राहक के अधिकार

(क) ग्राहक के पास, इस करार की शर्तों के अधीन रहते हुए सामान रखने के लिए लॉकर का उपयोग करने का अधिकार होगा और ऐसे सामानों की सुरक्षा के लिए बैंक द्वारा उचित देखभाल की अपेक्षा की जाएगी और ऐसा करने में बैंक की विफलता की स्थिति में, इस तरह के उपायों का लाभ उठाया जाएगा जो लागू किए गए कानून और विनियमों के तहत समय-समय पर उपलब्ध हो सकते हैं ।

(ख) बैंक लागू किए गए कानून और विनियमों के तहत समय-समय पर ग्राहक के अधिकारों को स्वीकार करता है।

[Stamp as Agreement]

IT IS AGREED BY AND BETWEEN THE PARTIES AS FOLLOWS:

1. **LOCKER LICENCE**

1.1 The Bank as a **Licensor** hereby grants to the Customer as a **Licensee**, the **licence** to use the safe deposit locker, the details of which are more particularly described in the Schedule to this Agreement (hereinafter referred to as the **"Locker")**, subject to the terms and conditions as set out under this Agreement.

1.2 The Customer hereby accepts the license granted in terms hereof for fee as specified in the Schedule by way of rent (the **"Rent")**.

1.3 The licence to use the Locker hereby granted is:

(a) Personal and for the Customer's own use and not for the use of any person other than the Customer;

(b) Non- transferable;

(c) Only for legitimate purposes such as storing of valuables like jewellery and documents but not for storing any cash or currency;

(d) Not for storing:

(i) arms, weapons, explosives, drugs and/ or any contraband material; and/ or

(ii) any perishable material and/ or radioactive material and/ or any illegal substance; and/or

(iii) any material which can create any hazard or nuisance to the Bank or to any of its customers.

1.4 The Customer shall have no right or property in the Locker other than the right to access and use the Locker in accordance with the terms and conditions specified under this Agreement.

1.5 The Customer shall not sub-License or re-License the said locker to any other person and will not take any kind of charges from any person for the same.

1.6 The Customer shall be allowed to operate the Locker:

(a) On a working day of the Bank during the specific time notified from time to time by the Bank for locker operation and in absence of such notification, during the business hours of the Bank. However, in the event of the Bank is not being able to operate for any reason beyond its control such as flood, riot, curfew, lockout etc., the Bank shall not have any obligation to allow operation of Locker;

(b) After the Customer entering the details of such operation in the Bank ' s records in the form and manner as stipulated by the Bank; and

(c) After the Customer provides identity proof, if so demanded by the Bank.

1 A. CUSTOMER'S RIGHTS

(a) The Customer shall have, subject to terms of this agreement, a right to use the Locker for keeping belongings and expect reasonable care by the Bank for protecting such belongings and in case of the Bank's failure to do so, avail of such remedies as may be available from time to time under the applicable law and regulations.

(b) The Bank acknowledges the Customer's rights as may prevail from time to time under the applicable law and regulations.

2. ग्राहक के वचन एवं बाध्यताएं

2.1 ग्राहक:

(क) लॉकर का उपयोग केवल उस प्रयोजन के लिए करेगा जिसके लिए उसे उपलब्ध कराया गया है और लागू कानून एवं विनियमों के अनुरूप उसका उपयोग करेगा;

(ख) लॉकर परिचालन के संबंध में बैंक द्वारा समय-समय पर अपनाए गए नियमों एवं विनियमों का पालन करेगा;

(ग) लॉकर खोलने के लिए बैंक द्वारा प्रदत्त चाबी, पासवर्ड या अन्य पहचान तंत्र को सुरक्षित स्थान पर रखेगा और उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं करेगा और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में पड़ने नहीं देगा ताकि लॉकर का प्राधिकृत उपयोग संरक्षित रहे;

(घ) लॉकर का परिचालन केवल बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई चाबी, पासवर्ड या अन्य पहचान तंत्र का प्रयोग करते हुए करेगा; और अन्यथा नहीं;

(ड़) लॉकर के संचालन के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी या किसी अन्य पहचान व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या उसकी कॉपी नहीं बनाएगा;

(च) लॉकर के संचालन के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान व्यवस्था के खो जाने की स्थिति में बैंक को तुरंत सूचित करेगा;

(छ) लॉकर के संचालन के लिए बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी, पासवर्ड या किसी अन्य पहचान व्यवस्था को बैंक को तुरंत वापस करेगा, यदि पूर्व में उनके खो जाने की सूचना उसने बैंक को दी हो;

(ज) देय होने पर किराए और/या प्रभारों के साथ-साथ लागू करों का बैंक को भुगतान करेगा और निम्नलिखित के लिए बैंक द्वारा किए गए सभी खर्चों का वहन करेगा -:

(i) बैंक द्वारा प्रदान की गई चाबी के गुम होने की ग्राहक की सूचना पर लॉकर के लॉक को बदलना और उसकी मरम्मत करना, तथा

(ii) इस करार की शर्तों के अनुसार लॉकर को तोड़कर खोलना।

(झ) ग्राहक के पते में परिवर्तन होने पर बैंक को तुरंत सूचित करें तथा फोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि सहित नया पता और संपर्क विवरण प्रदान करें।

3. बैंक के अधिकार

3.1 बैंक का अधिकार होगा कि वहः

(क) ग्राहक के खाते को डेबिट करते हुए किराए की वसूली, देरी के मामले में दंडस्वरूप किराया, लॉकर के संबंध में बैंक द्वारा वहन किए गए अन्य कानूनी रूप से वैध प्रभार और लागत की वसूली करे, यदि ग्राहक द्वारा देय होने पर इसका भुगतान नहीं किया जाता है; तथा

(ख) लॉकर परिचालन करने की अनुमति न देना –

(i) यदि लॉकर पर देय किराया बकाया रहता है; तथा

(ii) लॉकर का उपयोग करते समय बैंक द्वारा मांगे जाने पर ग्राहक, पहचान का प्रमाण प्रदान करने में विफल रहता है।

(ग) ग्राहक को समय-समय पर बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार एक वर्ष में विशिष्ट संख्या में लॉकर परिचालन करने की अनुमति दे और यदि ग्राहक बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय से अधिक बार परिचालन करना चाहता है तो ग्राहक को समय-समय पर बैंक द्वारा तय किए गए लागू कर के साथ परिचालन प्रभार हेतु अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।

(घ) लॉकर को परिचालित करने के लिए केवल लॉकर धारक (कों) को लॉकर रूम में प्रवेश करने की अनुमति दे और किसी अन्य व्यक्ति को लॉकर रूम में प्रवेश करने की अनुमति न दे ।

[Stamp as Agreement]

2. CUSTOMER'S UNDERTAKINGS AND OBLIGATIONS

2.1 The Customer shall:

(a) Use the Locker only for the purpose for which it is provided and in accordance with applicable law and regulations;

(b) Abide by rules and regulations for locker operation as the Bank may from time to time adopt;

(c) Keep the key, password or any other identification mechanism provided by the Bank for opening of the Locker in a place of safety, not share the same with any other person and not allow the same to fall into hands of any other person so as to save unauthorized use of the Locker;

(d) Operate the Locker only using the key, password or any other identification mechanism provided by the Bank and not otherwise;

(e) Not to tamper with or make a copy of key or any other identification mechanism provided by the Bank for operation of the Locker;

(f) Inform the Bank forthwith in case of loss of the key, password or any other identification mechanism provided by the Bank for the operation of the Locker;

(g) Return forthwith to the Bank in case of finding the key, password or any other identification mechanism provided by the Bank for the operation of the Locker,earlier having been reported to the Bank as lost;

(h) Pay to the Bank the Rent and/or charges plus applicable taxes when due and bear all costs incurred by the Bank for-
   (i) Changing the lock and repairs to the Locker on the Customer's reporting of loss of key provided by the Bank; and
   (ii) Breaking open of the Locker in terms of this Agreement.

(i) Inform the Bank forthwith in case of the change of address of the Customer providing new address and contact details including phone number, email id, mobile number etc.

3. BANK'S RIGHTS

3.1 The Bank shall have a right to:

(a) Recover the Rent, penal rent in case of delay, other legally valid charges and cost incurred by the Bank in relation to the Locker to the debit of the Customer's account, in the event the same is not paid by the Customer, when due; and

(b) Refuse access to the Locker-
   (i) In case the rent due on the Locker remains unpaid; and
   (ii) Customer fails to provide proof of identity when demanded by the Bank,at the time of seeking access to the Locker.

(c) Allow the customer to operate the locker for specific number of times in a year as decided by Bank from time to time and if the customer wants to operate for more than the time specified by the Bank, then the customer has to pay additional amount for operational charges with applicable tax as decided by the Bank from time to time.

(d) Allow only the Locker Holder(s) to enter into Locker Room to operate the Locker and no other person shall be allowed to enter into the Locker Room.

3.2 लाइसेंस की समाप्ति

3.2.1 इस करार के संबंध में ग्राहक के उल्लंघन या चूक की स्थिति में और/या बैंक यह देखते हुए कि ग्राहक सहयोग नहीं कर रहा है और/या इस करार के नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं कर रहा है तो बैंक को करार तथा इसके अंतर्गत लाइसेंस को समाप्त करने का अधिकार होगा परन्तु इसके पूर्व ग्राहक को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कम-से-कम 3 (तीन) महीने की पूर्व लिखित सूचना जारी की जाएगी (तथा (i) ईमेल द्वारा भी, जहां ग्राहक की ईमेल आईडी उपलब्ध है और (ii) एसएमएस और/या व्हाट्सएप द्वारा, जहां ग्राहक का मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध है)। ("समाप्ति सूचना")

3.2.2 टर्मिनेशन नोटिस प्राप्त होने पर, लाइसेंसकर्ता तुरंत तथा टर्मिनेशन नोटिस के अंतर्गत निर्धारित नोटिस अवधि के अंत से पहले लॉकर को सरेंडर करेंगे और उसे खाली करेंगे तथा बैंक द्वारा लॉकर खोलने पर प्रदान की गई चाबियां, पासवर्ड या कोई अन्य पहचान व्यवस्था और दस्तावेज बैंक को सौंप देंगे।

3.3 लॉकर को तोड़ना और उसकी सामग्री के संबंध में कार्रवाई करना

3.3.1 इस करार के प्रावधानों,बैंक की आंतरिक नीति(यों) और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार किसी एक या अधिक निम्नलिखित घटनाओं के होने पर बैंक के पास लॉकर को तोड़ने और इसकी सामग्रियों के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार होगा –

(क) यदि ऐसा होता है कि उपबंध 3.2.1 के अनुसार ग्राहक को टर्मिनेशन नोटिस दिया जाता है और ग्राहक टर्मिनेशन नोटिस के अंतर्गत निर्धारित नोटिस अवधि की समाप्ति के बाद लॉकर को सरेंडर और खाली नहीं करता है;

(ख) किराया लगातार 3 (तीन) वर्षों तक नहीं चुकाया जाता है तथा

(ग) लॉकर 7 (सात) साल या उससे अधिक की अवधि के लिए निष्क्रिय रहता है (चाहे किराए का भुगतान किया गया हो या नहीं); और बैंक द्वारा ग्राहक का पता नहीं लगाया जा सका है।

3.3.2 लॉकर को तोड़ने के अधिकार के प्रयोग करने से पहले, लॉकर को तोड़ने की बैंक की प्रस्तावित कार्रवाई के विषय में बैंक ग्राहक को कम से कम 3 (तीन) महीने की लिखित सूचना (उपर्युक्त खंड 3:2.1 के तहत समाप्ति नोटिस के अलावा) पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजेगा (और (i) ईमेल द्वारा, जहां ग्राहक की ईमेल आईडी उपलब्ध है तथा (ii) एसएमएस और/या व्हाट्सएप द्वारा, जहां ग्राहक का मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध है)। **("तोड़ने की सूचना")**।

3.3.3 इस करार के अंतर्गत कुछ भी होने के बावजूद, लॉकर तोड़ने से पहले बैंक, ग्राहक के मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर,ग्राहक के पते पर व्यक्तिगत संदेशवाहक भेजकर, ग्राहक की लैंड लाइन मोबाइल पर फोन कॉल आदि करके, ग्राहक से संपर्क करने का हर संभव प्रयास करेगा।

3.3.4 यदि बैंक द्वारा भेजे गए टर्मिनेशन नोटिस और लॉकर तोड़ने के नोटिस को बिना सुपुर्द किए लौटा दिया जाता है या बैंक द्वारा उचित प्रयास किए जाने के बावजूद ग्राहक का पता नहीं लग पाता है, जिसमें उपर्युक्त उपबंध 3.3.2 और 3.3.3 के अंतर्गत उक्त पर्याप्त प्रयास शामिल हैं तो बैंक, लॉकर को तोड़ने से पहले, लॉकर को तोड़ने के बैंक के इरादे के बारे में, कम से कम 3 (तीन) महीने के अंदर न्यूनतम 2 (दो) समाचार पत्रों में (एक अंग्रेजी में और दूसरा स्थानीय भाषा में) सार्वजनिक सूचना जारी करेगा तथा यह सूचना उसी स्थान पर दी जायेगी जहां ग्राहक रहता है, जैसा कि संबंधित करार में कहा गया है या ग्राहक द्वारा बैंक को बाद में सूचित किया गया है।

3.2 Termination of License

3.2.1 The Bank shall have, in the event of the Customer's breach of or default under this Agreement and/ or the Bank being of the view that the Customer is not co-operating and/or complying with the terms and conditions of this Agreement, a right to terminate this Agreement and the license granted hereunder, after issuing to the Customer a prior written notice of not less than 3 (three) months by registered post or speed post (and also by (i) email where email id of the Customer is available; and (ii) SMS and/or WhatsApp where the mobile phone number of the Customer is available) **("Termination Notice").**

3.2.2 Upon receipt of the Termination Notice, the Licensee shall forthwith and before the end of the notice period stipulated under the Termination Notice surrender and vacate the Locker and handover the keys, password or any other identification mechanism and documents provided by the Bank for opening of the Locker, to the Bank.

3.3 Breaking open of the Locker and dealing with its contents

3.3.1 The Bank shall have a right to break open the Locker and deal with its contents in accordance with the provisions under this Agreement, the Bank's internal policy(ies) and procedure(s) and the applicable laws and regulations, in case of any one or more of the following events-

(a) In the event Termination Notice in accordance with Clause 3.2.1 hereof is served to the Customer and the Customer does not surrender and vacate the Locker after the end of the notice period stipulated under the Termination Notice;

(b) The Rent remains unpaid for 3 (three) consecutive years; and

(c) The Locker remains inoperative (irrespective of whether Rent is paid or not) for a period of 7 (seven) years or more; and the Customer cannot be located by the Bank.

3.3.2 Before exercising the right to break open the Locker, the Bank shall send to the Customer a notice (in addition to the Termination Notice under Clause 3.2.1 above)in writing of not less than 3 (three) months by registered post/ speed post (and also by (i) email where email id of the Customer is available; and (ii) SMS and/or WhatsApp where the mobile phone number of the Customer is available) of the Bank's proposed action of breaking open of the Locker **("Break Open Notice").**

3.3.3 Notwithstanding, anything contained under this Agreement the Bank shall take all possible efforts to contact the Customer by sending messages on mobile phone of the Customer, sending a personal messenger to the Customer's address, making phone calls on the Customer's land line / mobile phone etc. before breaking open of the Lock er.

3.3.4 In case the Termination Notice and the Breaking Open Notice as foresaid sent by the Bank is returned undelivered or the Customer is not found to be traceable despite the Bank having taken reasonable efforts including those stated under Clause 3.3.2 and 3.3.3 above, the Bank shall, before breaking open the Locker, issue a public notice of not less than 3 (three) months about the Bank's intention to break open the Locker, in minimum 2 (two) newspapers (one in English and another in local language) in the same location where the Customer resides as evidenced by the Customer's address as stated in the Agreement or as further communicated by the Customer to the Bank.

3.3.5 लॉकर को तोड़ने की कार्रवाई एक समिति की उपस्थिति में की जायेगी जिसमें बैंक के 2 (दो) अधिकारी होंगे तथा साक्षी के रूप में 2 (दो) स्वतंत्र व्यक्ति होंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित लॉकर (स्मार्ट वॉल्ट सहित) की स्थिति में, लॉकर खोलने के लिए "वॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर" पासवर्ड का उपयोग एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाएगा और एक्सेस का पूरा ऑडिट ट्रेल संरक्षित किया जाएगा।

3.3.6 ऊपर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए लॉकर को तोड़ने पर, बैंक, लॉकर की सामग्री की सूची तैयार करेगा और बैंक के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता से सामग्री का मूल्यांकन प्राप्त करेगा और विस्तृत सूची के साथ लॉकर की सामग्री को सीलबंद लिफाफे में किसी अग्निरोधक तिजोरी के अंदर टेम्परप्रूफ तरीके से रखा जायेगा।

3.3.7 उपर्युक्त के अतिरिक्त इन्वेंट्री मूल्यांकन के साथ बैंक, लॉकर तोड़ने की प्रक्रिया का एक वीडियो भी रिकॉर्ड करेगा और इसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी विवाद या अदालती मामले की स्थिति में साक्ष्य प्रदान किया जा सके।

3.3.8 इसके अतिरिक्त बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि लॉकर का ताला तोड़ने के विवरण का लिखित रूप में उल्लेख, लॉकर रजिस्टर के अलावा बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) या आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क का अनुपालन करने वाले अन्य कम्प्यूटरीकृत सिस्टम में किया गया है।

3.3.9. ऊपर उल्लिखित अनुच्छेदों में बताएं गए तरीके से तैयार की गई इन्वेन्टरी में रिकॉर्ड किए गए अनुसार लॉकर के सामान का निपटान या तो सार्वजनिक नीलामी में बिक्री करके किया जाएगा तथा बिक्री से प्राप्त राशियों का प्रयोग सबसे पहले ग्राहक द्वारा बैंक को देय राशियों (बकाया किराया, लॉकर का ताला तोड़ने संबंधी प्रभारों तथा देय राशियों सहित) को चुकाने के लिए किया जाएगा तथा शेष राशि का भुगतान ग्राहक को किया जाएगा या फिर सामान को ग्राहक के आदेश पर निपटान के लिए रखा जाएगा।

3.3.10 सार्वजनिक नीलामी करके लॉकर के सामान की बिक्री करने से पहले बैंक द्वारा ग्राहक को बैंक की बकाया राशियों की वसूली के लिए लॉकर के सामान की नीलामी करने के बैंक के इरादे के संबंध में पंजीकृत पोस्ट/स्पीड पोस्ट द्वारा लिखित नोटिस, जो तीन माह से पुराना न हो, (तथा (i) यदि ग्राहक की ईमेल आईडी उपलब्ध है तो ईमेल द्वारा तथा (i) यदि ग्राहक का मोबाइल नम्बर उपलब्ध है तो एसएमएस तथा / व्हाट्सएप द्वारा भी) जारी किया जाएगा। उक्त नोटिस (नीलामी (नोटिस") में नीलामी की तिथि, समय तथा स्थान का उल्लेख होगा और यहाँ उल्लिखितानुसार बनाई गई लॉकर के सामान की इन्वेन्टरी की प्रति भी संलग्न की जाएगी।

4 उत्तरदायित्वों तथा देयताओं से बैंक का उन्मोचन

4.1 बैंक किसी भी स्थिति में लॉकर की सामग्री के खराब होने या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा चाहे वह बारिश, बाढ़, भूकंप, तड़ित, नागरिक समस्या या हंगामा, दंगा या युद्ध या किसी आतंकवादी हमले या किसी भी कारण या कोई अन्य समान कारण से।

4.2 ग्राहक की गलती या लापरवाही के फलस्वरूप किसी भी कृत्य से लॉकर के सामान की किसी भी क्षति/हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

4.3 लॉकर को तोड़कर खोलने या लॉकर की सामग्री का इस करार के प्रावधानों के अनुरूप निपटान करने में ग्राहक की ओर से हुए किसी व्यय, घाटे या देयता (लॉकर की सामग्री के किसी भी नुकसान और/या घाटे सहित) के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा और वह अपने दायित्वों से उन्मोचित रहेगा।

4.4 उपर्युक्त के बावजूद, लॉकर के संबंध में बैंक की जवाबदेही हमेशा लागू कानून और विनियमों के तहत परिसीमा के अधीन होगी।

3.3.5 The breaking open of Locker would be done in the presence of a committee consisting of 2 (two) officers of the Bank and 2 (two) independent persons acting as witnesses. In the event of electronically operated Locker (including Smart Vaults), the use of ' Vault Administrator' password for opening of locker shall be assigned to a senior official and complete audit trail of access shall be preserved.

3.3.6 Upon breaking open of the Locker, having followed the procedure as set out above, the Bank shall prepare inventory of the contents of the Locker and get valuation of the contents done by the Bank's approved Valuer and the contents of the Locker shall be kept in sealed envelope along with detailed inventory inside a fireproof safe in a tamper-proof way.

3.3.7 In addition to the above, the Bank shall also record a video of the break open process together with inventory assessment and safe keep and preserve the same so as to provide evidence in case of any dispute or court case in future.

3.3.8 Furthermore, the Bank shall also ensure that the details of breaking open of locker is documented in the Bank's Core Banking System (CBS) or any other computerized system compliant with the Cyber Security Framework issued by RBI from time to time, apart from locker register.

3.3.9 Disposal of the articles of the Locker as recorded in the inventory prepared in the manner as stated in the paragraphs above, shall be done either by sale in public auction and the sale proceeds shall be applied first towards the Customer's dues to the Bank (including outstanding Rent, breaking open charges and any other dues) and balance be refunded to the Customer or held for the disposal at the order of the Customer.

3.3.10 Before sale of the contents of the Locker by conducting public auction, a notice of not less than 3 (three) months in writing by registered post/ speed post (and also by (i) email where email id of the Customer is available; and (ii) SMS and/or WhatsAppwhere the mobile phone number of the Customer is available) shall be issued by the Bank to the Customer about the intention of the Bank to auction the contents of the locker for recovery of the dues to the Bank. The said notice **("Auction Notice")** shall contain the date, time and place of auction and a copy of the inventory of the contents of the Locker made in terms hereof.

4. THE BANK'S DISCHARGE FROM OBLIGATIONS AND LIABILITY

4.1 The Bank shall not be liable for in any case for deterioration or damage to the contents of the Locker whether caused by rain, flood, earthquake, lighting, civil disturbance or commotion, riot or war or in the event of any terrorist attack or by anyother similar cause(s).

4.2 The Bank shall not be liable for any damage/ loss of contents of the Locker arising from any act that is attributable to the fault or negligence of the Customer whatsoever.

4.3 The Bank shall be discharged of its obligations and shall not be liable for any cost, loss or liability incurred by the Customer (including for any damage and/or loss of contents of Locker) in the event the Locker is broken open and its contents dealt with in keeping with the provisions of this Agreement.

4.4 Regardless of the above, the Bank's liability on the Locker shall always be subject to limitation under the applicable law and regulation.

4.5 लॉकर में रखी सामग्री को बैंक द्वारा किसी भी तरह से बीमाकृत नहीं माना जाएगा और किसी भी जोखिम के लिए लॉकर में रखी सामग्री की बीमा के संबंध में बैंक की देयता नहीं होगी।

4.6 लॉकर के परिचालन के समय या लॉकर के परिचालन के बाद यदि ग्राहक कोई सामग्री या मूल्यवान वस्तु भूल जाता है तो ऐसे मामले में बैंक या बैंक का कोई अधिकारी किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

4.7 यदि किसी संस्था, हिंदू अविभक्त परिवार, कंपनी, साझेदारी फर्म, प्रोपराइटरशिप फर्म या न्यास के संघटन में कोई परिवर्तन होता है तो यह ग्राहक का दायित्व है कि उक्त परिवर्तन और लॉकर परिचालन के अधिकार में परिवर्तन के विषय में लिखित रूप में सूचित करे और यदि लॉकर- परिचालन के प्राधिकार में उक्त परिवर्तन की सूचना नहीं दी जाती है तो किसी भी परिस्थिति में ग्राहक द्वारा बैंक को किसी भी लागत, हानि या दायित्व (लॉकर में रखी सामग्री के किसी भी क्षति और/या हानि सहित) के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा ।

5. कानून एवं अधिकार क्षेत्र

यह करार भारतीय कानून के अधीन बनाया गया है और इससे संबंधित सभी मामले उन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आएंगे जहाँ बैंक स्थित है या जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बैंक आता है।

ग्राहक एतद्द्वारा स्वीकार करता है कि ग्राहक को इस अनुबंध की प्रति प्राप्त हो गई है।

4.5 The contents of the Locker shall in no manner be considered insured by the Bank, and the Bank shall not have any liability to insure the contents of the locker against any risk whatsoever.

4.6 At the time of operation of locker or after the operation of locker, if the Customer forgets any contents or valuable article then in such case, Bank or any Officer of the Bank shall not be liable for any kind of loss.

4.7 In case if there is any change in the constitution of any association, HUF, Company, Partnership Firm, Proprietorship Firm or trust it would be liability of the customer to intimate in writing about the said change and also the change in authority of operation of locker and if in case the said change in operation of authority of locker is not informed then in no circumstances the bank would be made liable for any cost, loss or liability by the Customer (including for any damage and/ or loss of contents of Locker).

5 LAW AND JURISDICTION

This Agreement is made subject to Indian law and all matters arising out of it shall be subject to the jurisdiction of courts at the place where the Bank is situated or in the jurisdiction of which the Bank falls.

The Customer hereby acknowledges that the customer has received the copy of this Agreement.

[Stamp as Agreement]

अनुसूची SCHEDULE

स्थान Place:		तिथि Date:
1. इस करार के पक्षकार PARTIES TO THIS AGREEMENT		
1(क/A)	बैंक THE BANK	यूको बैंक UCO Bank
	शाखा BRANCH	
1(ख/B)	ग्राहक THE CUSTOMER	नाम : श्री/श्रीमती/सुश्री/मेसर्स Name: Mr./Mrs./Ms/M/s पता Address जन्मतिथि/संस्थापन की तिथि DOB/Date of Incorporation ईमेल आईडी Email ID टेलीफोन नं. Telephone No. मोबाइल नं. Mobile No.
		नाम : श्री/श्रीमती/सुश्री/मेसर्स Name: Mr./Mrs./Ms/M/s पता Address जन्मतिथि/संस्थापन की तिथि DOB/Date of Incorporation ईमेल आईडी Email ID टेलीफोन नं. Telephone No. मोबाइल नं. Mobile No.
		नाम : श्री/श्रीमती/सुश्री/मेसर्स Name: Mr./Mrs./Ms/M/s पता Address जन्मतिथि/संस्थापन की तिथि DOB/Date of Incorporation ईमेल आईडी Email ID टेलीफोन नं. Telephone No. मोबाइल नं. Mobile No.
2	लॉकर का विवरण DESCRIPTION OF LOCKER	लॉकर नं .LOCKER NUMBER:
		कुंजी सं .KEY NUMBER:
3	प्रतिवर्ष लॉकर का किराया LOCKER RENT PER YEAR	₹. (अंकों में in figures):
		₹. (शब्दों में in words):
		(समय पर यथा संशोधित अग्रिम के रूप में देय-)As may be revised from time to time and payable in advance)

4	लाइसेंस की आवधि **PERIOD OF LICENCE**	इस करार की तिथि से 1 (एक) वर्ष, जिसे एक वर्ष की समाप्ति पर हर बार स्वत: 1 (एक) और वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा जबतक कि यहाँ उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस लाइसेंस को समाप्त न कर दिया जाए । 01 (One) year from the date of this Agreement which at the end of such 01 (One) year shall stand automatically extended for a further period of 01 (One) year every time unless terminated in terms hereof.
5	**परिचालन अधिदेश OPERATING MANDATE**	
6	**कोई अन्य शर्त** **ANY OTHER TERMS**	1. नामांकन/नामांकन नहीं हेतु घोषणा (लॉकर खाता के परिचालन में "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी","पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी","इनमें से कोई भी या उत्तरजीवी", "बाद वाला या उत्तरजीवी" आदि परिचालन अधिदेश में लागू नहीं) Declaration for Nomination/ No Nomination (not applicable for locker account with mode of operation as "Either or Survivor", "Former or Survivor", "Anyone or Survivors", "Latter or Survivor"): o मैं/हम मेरे/हमारे सुरक्षा जमा लॉकर में नामांकित का नाम जोड़ना चाहते हैं। I / We wish to add nominee in my / our Safe Deposit Locker. o नामांकन के लाभ के विषय में मुझे बताया गया है। हालांकि मैं/हम अपने सुरक्षा जमा लॉकर में नामांकन नहीं करना चाहता हूँ /चाहते हैं । The benefits of nomination have been explained to me / us. However, I / We do not wish to make nomination for my / our Safe Deposit Locker. 2. मैं/हम जानता(ती)/जानते हूँ/हैं कि मुझे/हमें वर्ष में (वर्तमान प्रावधान के अनुसार जो समय-समय पर समीक्षाधीन है) 12 बार लॉकर के परिचालन की अनुमति प्राप्त है, जिसके बाद बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लॉकर का परिचालन शुल्क प्रभार्य होगा । I / We understand that I / we am / are permitted to operate locker 12 number of times in a year (as per the provision that stands at present and is subject to periodical review) beyond which access to locker shall be chargeable as per Bank's extant guidelines. 3. मैंने/हमने बैंक में ₹ __________ का सावधि जमा विधिवत निष्पादित कर तीन साल के अग्रिम लॉकर किराए(मौजूदा दर पर) के रूप में शाखा को ग्रहणाधिकार के अधीन रखने के लिए प्राधिकृत किया जो ₹ __________ + लॉकर तोड़ने की अनुमानित लागत + ₹.__________ का आकस्मिक प्रभार का योग है। I/ We deposit fixed deposit duly discharged by me / us for an amount of ₹ __________ being aggregate of three year's advance locker rent (at existing rate) of ₹ __________ + estimated cost of locker break open charge of ₹ __________ + incidental charge of ₹.__________ and authorised the branch to keep it under lien.

		4. मैं/हम यूको बैंक, ________ शाखा को सावधि जमा खाता संख्या ________ जो यूको बैंक की ________ शाखा में सुरक्षित जमा लॉकर संख्या ___________ के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा है, को बंद करके लॉकर को खोलने पर देय लॉकर किराया और/या शुल्क वसूल करने के लिए(निष्क्रिय या देय किराए के मामले में) अधिकृत करते हैं। I / We authorize the UCO Bank, ___________ branch to recover the due locker rent and / or charges occurred in break open of locker (in case of inoperative or rent due) by closing the Fixed Deposit Account number ________________ deposited with UCO Bank, ______________ Branch as security deposit for Safe Deposit Locker Number ___________. 5. मैं/हम यूको बैंक, ________ शाखा को यूको बैंक, _________ शाखा की मेरे/हमारे बचत/चालू खाते से डेबिट करके एक वर्ष का अग्रिम लॉकर किराया वसूल करने के लिए अधिकृत करते हैं, जब तककि इसके विपरीत लिखित नोटिस नहीं दिया जाता है। I / We further authorize the UCO Bank, _________ Branch to recover the advance locker rent of a year as and when due by debiting to my / our savings / current account having number ___________________ with UCO Bank, _________ Branch till notice to contrary is served in writing.

इसके साक्षी के रूप में, पक्षों ने निम्नानुसार इस करार को निष्पादित किया

IN WITNESS WHEREOF, the Parties herteto have executed this Agreement.

केवल ग्राहकों के लिए For the Customer			
हस्ताक्षर Signature			
नाम Name			
पदनाम/हैसियत* **Designation/ Capacity**			

(* जहां ग्राहक गैर-वैयक्तिक है/व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर नहीं कर रहा हो)(*in case where the Customer is non individual/ not signing in person)

यूको बैंक, ... शाखा **UCO Bank,___________________________Branch**	
हस्ताक्षर: **Signature:**	
हस्ताक्षरकर्ता का नाम: **Name of the signatory:**	
पदनाम: **Designation:**	

नोट : इस करार के हिंदी पाठ से किसी प्रकार के विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में इसका मूल अंग्रेजी पाठ ही प्राधिकृत माना जाएगा।

Note: In the event of any controversy arising out of Hindi version of this agreement the original English text of it will be treated as authoritative